पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक : 475 /अका./का.प./2010 रायपुर, दिनांक 29 /03/2010

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक शुक्रवार, दिनांक 12.03.2010 को अपरान्ह 3.00 बजे कुलपति कक्ष में आयोजित हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :–

1.	प्रो. एस.के. पाण्डेय, कुलपति	–	अध्यक्ष
2.	प्रो. विभूति राय	–	सदस्य
3.	प्रो. एस.के. सिंह	–	सदस्य
4.	डॉ. शलभ कुमार तिवारी	–	सदस्य
5.	डॉ. अंजनी कुमार शुक्ला	–	सदस्य
6.	डॉ. उज्जवल पाटनी	–	सदस्य
7.	श्री देवजी भाई पटेल	–	सदस्य
8.	श्री कुलदीप सिंह जुनेजा	–	सदस्य
9.	डॉ. शिव कुमार डहरिया	–	सदस्य
10.	डॉ. इंदु अनंत, कुलसचिव	–	सचिव

कार्यवृत्त

बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गए :-

1. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 06.02.2010 एवं आपातिक बैठक दिनांक 22.02.2010 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 06.02.2010 एवं आपातिक बैठक दिनांक 22.02.2010 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान की गई।

2. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 09.02.2010 के कार्यवृत्त को अनुमोदन प्रदान करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 09.02.2010 के कार्यवृत्त को अनुमोदन प्रदान किया गया।

3. डॉ. हेमलता बोरकर, व्याख्याता, समाजशास्त्र अध्ययनशाला को वरिष्ठ वेतनमान देने पर विचार करना।

निर्णय : डॉ. हेमलता बोरकर, व्याख्याता, समाजशास्त्र अध्ययनशाला को दिनांक 22.09.2009 से वरिष्ठ वेतनमान दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

4. सेठ आर.सी.एस. कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, दुर्ग से प्राप्त कारण बताओ नोटिस के प्रत्युत्तर में प्राप्त पत्र दिनांक 07.11.2009 पर विचार करना।

निर्णय : निर्णय लिया गया कि महाविद्यालय द्वारा लिखे गये पत्र को कार्यपरिषद् ने अत्यंत गम्भीरता से लेते हुए इसे विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा के प्रतिकूल मानते हुए महाविद्यालय की कड़ी निंदा की गई। पत्र की भाषा पर भी अप्रसन्नता जाहिर की गई। महाविद्यालय द्वारा नियम विरूद्ध की जा रही कार्यवाही एवं विश्वविद्यालय पर अनर्गल आरोप के परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालय के प्रावधानों के अनुरूप अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया।

5. वित्त सत्र 2010–11 विश्वविद्यालय के वार्षिक बजट पर विचार एवं अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : निर्णय लिया गया कि वित्त सत्र 2010–11 विश्वविद्यालय के वार्षिक बजट को सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई। कार्यपरिषद् ने निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय के अति आवश्यक क्रय के निराकरण हेतु शीघ्रता, मितव्ययता बरती जाय, एवं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महंगाई के कारण हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए परीक्षा शुल्क की राशि आगामी परीक्षा सत्र से प्रति छात्र रू. 250 बढ़ा दी जाय।

पूरक विषय–सूची

1. छात्रा ***कु. उमा तिवारी,*** बी.काम. अंतिम वर्ष 2002 रोल नं. – 33496 के परीक्षा परिणाम निरस्त किये जाने पर विचार करना।

निर्णय : छात्रा कु. उमा तिवारी, बी.काम. अंतिम वर्ष 2002 रोल नं. – 33496 के परीक्षा परिणाम (पात्रता न होते हुए भी सम्मिलित हुई परीक्षा का परीणाम) निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

2. विश्वविद्यालय अध्ययनशाला में इम्प्रेस्ट की राशि **पाँच हजार रूपए** से कम निर्धारित है उसे **पाँच हजार रूपए** की सीमा तक वृद्धि करने पर विचार करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय अध्ययनशाला में जहाँ इम्प्रेस्ट की राशि **पाँच हजार रूपए** से कम निर्धारित है वहाँ **पाँच हजार रूपए** की सीमा तक वृद्धि करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

3. (1) बजट वर्ष 2009-10 परीक्षा मद क्रमांक 11 Construction/Extention of Central Valuation Hall में रू. 25.00 लाख का बजट प्रावधान है जिसमें खर्च अभी शून्य है। अतः इस मद में से रू. 10.00 लाख (रूपये दस लाख मात्र) पुनर्विनियोजन की अनुमति माननीय कुलपति जी द्वारा छ.ग. विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 15(4) के तहत प्रदान करते हुए रू. 1,80,000.00 की केन्द्र अग्रिम राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

(2) [illegible] केन्द्र अग्रिम [illegible] 25,80,000.00 की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : अनुमोदन के साथ सूचना ग्रहण की गई।

4 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 11 वीं पंचवर्षीय योजनांतर्गत सामान्य विकास मद में पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर को तृतीय किश्त के रूप में रू. 1,90,80,000=00 की राशि आबंटित की गई है। इस राशि में से रू. 7,40,902=00 फर्नीचर क्रय करने के संबंध में स्वीकृति प्रदान करने पर विचार।

निर्णय : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 11 वीं पंचवर्षीय योजनांतर्गत सामान्य विकास मद में पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर को तृतीय किश्त के रूप में रू. 1,90,80,000=00 की राशि आबंटित की गई है। इस राशि में से रू. 7,40,902=00 फर्नीचर क्रय करने के संबंध में स्वीकृति प्रदान की गई।

5. छठे वेतनमान प्राप्त सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 90 प्रतिशत प्रत्याशित पेंशन स्वीकृति के संबंध में।

निर्णय : निर्णय लिया गया कि छठे वेतनमान प्राप्त सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 90 प्रतिशत प्रत्याशित पेंशन स्वीकृति के संबंध में राज्य शासन से स्वीकृति प्राप्त करने के लिए पत्र लिखा जाए एवं प्रकरण कार्यपरिषद् की आगामी बैठक में रखा जाए।

6. प्रो. के.एल. तिवारी के वेतन निर्धारण तिथि के संबंध में समिति की अनुशंसा पर विचार करना।

निर्णय : प्रो. के.एल. तिवारी के वेतन निर्धारण तिथि के संबंध में गठित समिति की अनुशंसा मान्य करते हुए दिनांक 30.09.2005 से वेतन निर्धारण मान्य किया गया।

7. भण्डार क्रय नियम के विश्वविद्यालय में अंगीकरण किये जाने क्रय विनियम में संशोधन संबंधी प्रस्ताव पर विचार करना।

निर्णय : निर्णय लिया गया कि कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 06.02.2010 के पद क्रमांक 7, 9, 10 एवं पूरक सूची पद क्रमांक 1 पर भंडार क्रय नियम विश्वविद्यालय के विभागों द्वारा दिनांक 31.03.2010 तक किये गये क्रय संबंधी कार्यवाही को कार्यपरिषद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। कार्यपरिषद् के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में विनियम क्रमांक 108 में संशोधन छत्तीसगढ़ शासन के भंडार क्रय नियमों के अनुसार परिवर्तन/अद्यतन करने हेतु गठित समिति आगामी कार्यपरिषद् की बैठक में संशोधित विनियम 108 का प्रारूप अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेगी।

8. भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 22.02.2010 की अनुशंसा पर विचार करना।

निर्णय : भवन निर्माण समिति की अनुशंसा [illegible] की गई। [illegible] [illegible] कार्यपरिषद की आगामी बैठक में [illegible] प्रस्तुत किया जाए।

अध्यक्ष की अनुमति से

1. विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को अतिरिक्त कार्य अथवा विभिन्न कार्यों के लिए पूर्व में निर्धारित पारिश्रमिक युक्त किए गए कार्यों के लिए देय पारिश्रमिक भुगतान लंबित है।
विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि सत्र 2008–09 अथवा पूर्व वर्षों के लंबित पारिश्रमिक का भुगतान कर दिया जाए तथा सत्र 2009–10 एवं आगामी वर्षों के लिए पारिश्रमिक युक्त कार्यों की सूची, पारिश्रमिक की प्रस्तावित दरें तथा पारिश्रमिक की अधिकतम सीमा कार्यपरिषद की आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाए । कार्यपरिषद की बिना स्वीकृति के विश्वविद्यालय कर्मचारियों को पारिश्रमिक भुगतान न किया जाए ।

कुलपति
अध्यक्ष

कुलसचिव
सचिव

पृ.क्र. : 1176 /अका./का.प./2010 रायपुर, दिनांक : 22 /03/2010

प्रतिलिपि :–

1. महामहिम कुलाधिपति के सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर ।
2. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को इस निवेदन के साथ कि यदि कार्यवृत्त में कोई त्रुटि हो तो इसकी जानकारी कार्यवृत्त जारी होने की तिथि से 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करने का कष्ट करें।
3. समस्त विभागीय अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि विभाग से संबंधित निर्णयों का पालन प्रतिवेदन इस विभाग को प्रेषित करने का कृपया कष्ट करें।
4. जनसंपर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण/वित्त नियंत्रक/प्रभारी अंकेक्षण,
5. कुलपति के सचिव/ कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

उप कुलसचिव (अका.)